दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित : 01.08.2023
उद्घोषित : 01.09.2023

<u>रि.या.(आप.) 2098/2023 एवं आप.वि.आ. 19540/2023</u>

डॉ. एस. जेटली एवं अन्य .....याचीगण

द्वारा: याचीगण स्वयं

बनाम

राज्य (रा.रा.क्षे. दिल्ली) .....प्रत्यर्थी

द्वारा: सुश्री नंदिता राव, राज्य के लिए अति.स्था.अधि. (आपराधिक) सह श्री अमित पेसवानी, अधिवक्ता एवं उप.नि. रणविजय, पुलिस थाना लाहौरी गेट

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री स्वर्ण कांता शर्मा

<u>निर्णय</u>

<u>निर्णय सारणी</u>

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि.....2
पक्षकारगण की ओर से प्रस्तुतियां.....3
(I) याचीगण का मामला.....3
(Ii) परिवादी की ओर से तर्क..... 5

इस न्यायालय के समक्ष मुद्दा.....5

न्यायालय के समक्ष विचारण का सामना कर रहे अभियुक्त की उपस्थिति पर विधि.....6

(I) विचारण अभियुक्त की उपस्थिति में चलाया जाना चाहिए: मौलिक सिद्धांत.....6

(Ii) अभियुक्त को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने के लिए न्यायालयों की शक्ति 7

वर्चुअल सुनवाई: न्यायालय की नीतियां और दिशा-निर्देश.....11

विश्लेषण और निष्कर्ष.....14

<u>न्या., स्वर्ण कांता शर्मा</u>

1. वर्तमान रिट याचिका याचीगण की ओर से भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 सहपठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ('दं.प्र.सं.') की धारा 482 के अंतर्गत विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (केंद्रीय), तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2023 को पूर्ण या आंशिक रूप से अपील/निरसन/पुनरीक्षण/परिवर्तन/संशोधन/अपास्त करने की मांग करते हुए दायर की गई है।

<u>तथ्यात्मक पृष्ठभूमि</u>

2. याचिकाकर्ता सं. 1, जिसकी उम्र 75 वर्ष है, भारतीय दंड संहिता, 1860 ('भा.दं.सं.') की धारा 376/506 के अंतर्गत 12.01.2020 को पुलिस थाना लाहौरी गेट, दिल्ली में दर्ज प्राथमिकी सं. 16/2020 में अभियुक्त है, जिसका

विचारण विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, केंद्रीय, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली के न्यायालय में लंबित है।

3. जैसा कि याचिका में प्रकट किया गया है, यहां इसमें याचिकाकर्ता सं. 1, ने अंतरण याचिका (आप.) सं. 30/2023 के माध्यम से विद्वान अति.स.न्या. के न्यायालय से उपरोक्त मामले को अंतरित करने की मांग की थी, जिसमें याचिकाकर्ता सं. 1 की शिकायतों को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया था। हालांकि, आक्षेपित आदेश दिनांकित 08.06.2023 पारित किया गया, जिसके अंतर्गत विद्वान जिला न्यायाधीश ने दर्ज किया था कि याचिकाकर्ता सं. 1 अंतरण याचिका पर जोर नहीं देना चाहता है और उसे अपने स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार भौतिक या वर्चुअल मोड के माध्यम से विचारण न्यायालय की कार्यवाही में भाग लेने का निर्देश दिया गया था। यह आदेश दिया गया था कि वर्चुअल रूप से उपस्थित होने पर वह समर्थक चिकित्सा दस्तावेज पेश करेगा।

4. विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांकित 08.06.2023 को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

> "...आवेदक का शपथ-पत्र दिनांकित 05.06.2023 दाखिल किया गया है जिसमें उसने वचन दिया है कि वह अपनी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार सुनवाई की प्रत्येक तिथि पर वर्चुअल या भौतिक रूप से न्यायालय में उपस्थित होगा। यदि वह वर्चुअल रूप से उपस्थित होता है, तो वह समर्थक चिकित्सा दस्तावेज दाखिल करेगा। याचिकाकर्ता, जो आज वर्चुअल रूप से उपस्थित हुआ है, अपने शपथ-पत्र में दिए गए प्रकथनों को दोहराता है और प्रस्तुत करता है कि वह वर्तमान अंतरण याचिका पर जोर नहीं देता है।

उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान अंतरण याचिका का निपटान जोर न दिए जाने के रूप में इस निर्देश के साथ किया जाता है कि याचिकाकर्ता सुनवाई की प्रत्येक तिथि पर अधिमानतः भौतिक रूप से कार्यवाही में शामिल होगा और वर्चुअल सुनवाई के मामले में, वह एक उचित चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा और यदि चिकित्सा प्रमाण-पत्र किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल या चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया है तो उसे अस्वीकार करना विचारण न्यायालय के विवेक पर निर्भर करेगा।..."

<u>पक्षकारगण की ओर से प्रस्तुतियां</u>

(i) याचीगण का मामला

5. याचीगण, यहां इसमें, का मामला यह है कि याचिकाकर्ता सं. 1 को ऐसी शर्तों को मानने के लिए मजबूर किया गया था, और आक्षेपित आदेश याचिकाकर्ता के अधिकारों का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया था। यह भी कहा गया है कि यह एक उल्लंघन है और इस न्यायालय के कार्यालय आदेश और अपनाई गई नीति दिनांकित 05.06.2023 के विपरीत है और भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपनाई गई नीति, नियमों और विनियमों और भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा सभी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से किए गए नीति प्रवर्तन अनुरोधों के विपरीत है।

6. स्वयं उपस्थित होने वाले याचिकाकर्ता सं. 2 द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आक्षेपित आदेश को अपास्त कर दिया जाए क्योंकि याचिकाकर्ता सं. 1 के लिए अपनी अधिक उम्र और स्वास्थ्य स्थितियों के कारण विचारण न्यायालय

में सुनवाई की प्रत्येक तिथि पर भौतिक रूप से उपस्थित होना असंभव और अव्यावहारिक है। यह कहा गया है कि विद्वान जिला न्यायाधीश ने मामले के गुणागुण पर चर्चा या न्यायनिर्णयन भी नहीं किया क्योंकि याचिकाकर्ता को यह बयान देने के लिए मजबूर किया गया था कि अंतरण याचिका पर जोर नहीं दिया गया था। उसने यह भी कहा कि आक्षेपित आदेश पारित होने के बाद, मामला 05.07.2023 को विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, और याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को याचिकाकर्ता सं. 1 का चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए एक दिन का भी समय नहीं दिया गया था, और उस दिन के लिए वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग उपस्थिति को मंजूरी देने की शर्त के रूप में, विद्वान अति.सत्र.न्या. द्वारा उसी दिनांक अर्थात् 05.07.2023 के एक चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर जोर दिया गया था। याचिकाकर्ता सं. 1 वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यवाही में शामिल होने में असमर्थ था और उसकी अनुपस्थिति में, परिवादी के तर्क सुने गए। यह कहा गया है कि याचीगण को प्रताड़ित किया गया था और उन्हें एक चिकित्सक को बुलाने के लिए मजबूर किया गया था जिसने देखा, मूल्यांकन किया और एक चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रदान किया, जिसे विद्वान अति.सत्र.न्या. को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया था। हालांकि, विद्वान अति.सत्र.न्या. ने आवेदन पर आदेश पारित करने के बजाय मामले को 31.07.2023 तक के लिए स्थगित कर दिया। यह भी तर्क दिया गया है कि वर्चुअल परिधि में न्यायिक सुनवाई आयोजित करने की शुरूआत और प्रगति के

साथ, प्रौद्योगिकी द्वारा प्रदान की गई वर्चुअल सुविधा को सभी ने अपना लिया है। यह कहा गया है कि यदि याचिकाकर्ता वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होना चाहता है तो सुनवाई की हर तिथि पर नया चिकित्सा प्रमाण-पत्र लाने की शर्त लगाना इस न्यायालय के आदेशों के विपरीत है और उनका प्रत्यक्ष उल्लंघन है और इस न्यायालय और सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर लागू अन्य नियमों और विनियमों का उल्लंघन है। इसलिए, यह कहा गया है कि पारित आदेश अवैध है और अपास्त किए जाने के अधीन है।

(ii) परिवादी की ओर से तर्क

7. दूसरी ओर, परिवादी के विद्वान अधिवक्ता का बयान है कि वर्तमान याचिका केवल कार्यवाही में देरी करने और परिवादी/पीड़ित को परेशान करने के लिए दायर की गई है। यह भी बयान दिया गया है कि याचिकाकर्ता सं. 1 स्वस्थ है और किसी भी स्वास्थ्य संबंधी बीमारी से पीड़ित नहीं है। यह बयान दिया गया है कि विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में कोई दोष नहीं है और सुनवाई की प्रत्येक तिथि पर यदि याचिकाकर्ता सं. 1 भौतिक रूप से उपस्थित होने में असमर्थ है, तो उसे एक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए ताकि उसे भौतिक उपस्थिति से छूट दी जा सके और वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति दी जा सके। यह भी बयान दिया गया है कि याचीगण केवल विचारण में देरी करना चाहते हैं, इसलिए याचिका को जुर्माने के साथ खारिज कर दिया जाना चाहिए।

8. इस न्यायालय ने याचीगण, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए, और परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क सुने। अभिलेख पर प्रस्तुत की गई सामग्री का भी परिशीलन किया गया है।

<u>इस न्यायालय के समक्ष मुद्दा</u>

9. इस न्यायालय से यह निर्णय लेने के लिए संपर्क किया गया है कि क्या याचिकाकर्ता सं. 1, जिसकी उम्र 75 वर्ष है और उस पर भा.दं.सं. की धारा 376 के अंतर्गत अपराध का विचारण चल रहा है, को वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति दी जानी चाहिए और क्या सुनवाई की हर तिथि पर अधिमानतः भौतिक रूप से उपस्थित होने और जब भी वह वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होना चाहता है तो अपनी बीमारी का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए अधिरोपित की गई शर्त विधि की दृष्टि से पोषणीय है और माननीय शीर्ष न्यायालय और इस न्यायालय की नीति के विपरीत है जिसके अंतर्गत विद्वान अधिवक्तागण और पक्षकारगण को वर्चुअल मोड के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति दी गई है।

10. संक्षेप में, वर्तमान याचिका के माध्यम से याचीगण ने प्रार्थना की है कि याचिकाकर्ता सं. 1 को उसकी स्वास्थ्य स्थितियों और उम्र के कारण बिना किसी शर्त के विचारण न्यायालय के समक्ष वर्चुअल रूप से उपस्थित होने की अनुमति दी जाए और दिनांक 08.06.2023 के आदेश को अपास्त कर दिया जाए।

<u>न्यायालय के समक्ष विचारण का सामना कर रहे अभियुक्त की उपस्थिति पर विधि</u>

(i) विचारण अभियुक्त की उपस्थिति में चलाया जाना चाहिए: मौलिक सिद्धांत

11. दंड विधि के मौलिक सिद्धांत के रूप में, आपराधिक मामले का विचारण अभियुक्त की उपस्थिति में होना चाहिए जो अभियुक्त और पीड़ित दोनों के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक है। न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने से अभियुक्त को विचारण न्यायालय की कार्यवाही में सीधे भाग लेने की अनुमति मिलती है और पीड़ित को भी संतुष्टि होती है कि विधिक कार्यवाही विधि के अनुसार हो रही है।

12. इस संबंध में विधि को दं.प्र.सं. की धारा 273 में अभिव्यक्ति मिलती है जो यह निर्धारित करती है कि आम तौर पर, विचारण के दौरान प्रस्तुत किए गए सभी साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में लिए जाने चाहिए। दं.प्र.सं. की धारा 273 निम्नानुसार है:

> "**273. साक्ष्य का अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाना।**
> अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित उसके सिवाय, विचारण या अन्य कार्यवाही के अनुक्रम में लिया गया सब साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में या जब उसे व्यक्तिगत उपस्थिति से अभिमुक्त कर दिया गया है तब उसके प्लीडर की उपस्थिति में लिया जाएगा।

स्पष्टीकरण - इस धारा में "अभियुक्त" के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जिसकी बाबत अध्याय 8 के अधीन कोई कार्यवाही इस संहिता के अधीन प्रारंभ की जा चुकी है..."

(ii) अभियुक्त को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने की न्यायालयों की शक्ति

13. यह भी सच है कि विधि में ऐसे उपबंध शामिल हैं जो न्यायालयों को किसी अभियुक्त को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने का विवेकाधिकार देते हैं। किसी अभियुक्त को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने से संबंधित विधि दं.प्र.सं. की धारा 205 और 317 के अंतर्गत निहित है, जो निम्नानुसार है:

"**205. दंडाधिकारी का अभियुक्त को व्यक्तिगत उपस्थिति से अभिमुक्ति देना।**

(1) जब कभी कोई दंडाधिकारी समन जारी करता है तब यदि उसे ऐसा करने का कारण प्रतीत होता है तो वह अभिमुक्त को व्यक्तिगत उपस्थिति से अभिमुक्त कर सकता है और अपने प्लीडर द्वारा उपस्थित होने की अनुज्ञा दे सकता है।

(2) किंतु मामले की जांच या विचारण करने वाला दंडाधिकारी, स्वविवेकानुसार, कार्यवाही के किसी प्रक्रम में अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति का निदेश दे सकता है और यदि आवश्यक हो तो उसे इस प्रकार हाजिर होने के लिए इसमें इसके पूर्व उपबंधित रीति से विवश कर सकता है।

317. कुछ मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में जांच और विचारण किए जाने के लिए उपबंध।

(1) इस संहिता के अधीन जांच या विचारण के किसी प्रक्रम में यदि न्यायाधीश या दंडाधिकारी का उन कारणों से, जो अभिलिखित किए जाएंगे, समाधान हो जाता है कि न्यायालय के समक्ष अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति न्याय के हित में आवश्यक नहीं है या अभियुक्त न्यायालय की कार्यवाही में बार-बार विघ्न डालता है तो, ऐसे अभियुक्त का प्रतिनिधित्व प्लीडर द्वारा किए जाने की दशा में, वह न्यायाधीश या दंडाधिकारी उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से उसे अभिमुक्ति दे सकता है और उसकी अनुपस्थिति में ऐसी जांच या विचारण करने के लिए अग्रसर हो सकता है और कार्यवाही के किसी पश्चात्वर्ती प्रक्रम में ऐसे अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति का निदेश दे सकता है।

(2) यदि ऐसे किसी मामले में अभियुक्त का प्रतिनिधित्व प्लीडर द्वारा नहीं किया जा रहा है अथवा यदि न्यायाधीश या दंडाधिकारी का यह विचार है कि अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक है तो, यदि वह ठीक समझे तो, उन कारणों से, जो उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे, वह या तो ऐसी जांच या विचारण स्थगित कर सकता है या आदेश दे सकता है कि ऐसे अभियुक्त का मामला अलग से लिया जाए या विचारित किया जाए....”

14. जबकि दं.प्र.सं. की धारा 205 दंडाधिकारी के समक्ष कार्यवाही शुरू होने के चरण से ही अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति से अभिमुक्ति देने की दंडाधिकारी की शक्ति से संबंधित है, और दं.प्र.सं. की धारा 317 दंडाधिकारी और सत्र न्यायाधीश दोनों को जांच या विचारण के किसी भी चरण में

अभियुक्त को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने की शक्ति प्रदान करती है। हालांकि, दोनों धाराएं संबंधित न्यायालयों को बाद में किसी भी स्तर पर अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश देने की शक्ति भी प्रदान करती हैं।

15. इससे संबंधित विधि पर माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा ***भास्कर इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भिवानी डेनिम एंड अपैरल्स लिमिटेड*** (2001) 7 एससीसी 401 और ***पुनीत डालमिया बनाम सीबीआई*** (2020) 12 एससीसी 695 के मामले में चर्चा की गई थी। इस संबंध में ***भास्कर इंडस्ट्रीज लिमिटेड*** (पूर्वोक्त) में माननीय शीर्ष न्यायालय की प्रासंगिक टिप्पणियां निम्नानुसार हैं:

> **"14. सामान्य नियम यह है कि साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाएगा। हालांकि, अभियुक्त की अनुपस्थिति में भी ऐसे साक्ष्य लिए जा सकते हैं लेकिन तब उसके अधिवक्ता को न्यायालय में उपस्थित होना होगा, बशर्ते उसे न्यायालय में उपस्थित होने से छूट दी गई हो।** दंड न्यायालय की चिंता मुख्य रूप से दांडित न्याय के प्रशासन की ओर होनी चाहिए। इस हेतु मामले में न्यायालय की कार्यवाही में प्रगति दर्ज होनी चाहिए। न्यायालय में अभियुक्त की उपस्थिति केवल उसे न्यायालय में देखने के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए नहीं है। यह न्यायालय को विचारण को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए है। **यदि अभियुक्त की उपस्थिति के बिना भी विचारण आगे बढ़ सकता है, तो न्यायालय निस्संदेह उन कठिनाइयों की सीमा पर विचार करेगा जो किसी अभियुक्त व्यक्ति को उस विशिष्ट**

मामले में न्यायालय में उपस्थित होने के लिए सहनी पड़ सकती हैं।

17. इस प्रकार, उपयुक्त मामलों में दंडाधिकारी किसी अभियुक्त को पहली उपस्थिति भी अधिवक्ता के माध्यम से करने की अनुमति दे सकता है। दंडाधिकारी को अभियुक्त के अभिवाक् को अभिलिखित करने का अधिकार है, भले ही उसका अधिवक्ता किसी मामले में अभियुक्त की ओर से ऐसा अभिवाक् दे, जहां अभियुक्त को व्यक्तिगत उपस्थिति से अभिमुक्ति दी गई है। संहिता की धारा 317 को उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए क्योंकि यह न्यायालय को मामले में आगे बढ़ने के लिए भी अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति से अभिमुक्ति देने (बशर्ते उस मामले में उसका प्रतिनिधित्व किसी अधिवक्ता द्वारा किया गया हो) का अधिकार देता है। **हालांकि, एक सावधानी जो न्यायालय को ऐसी स्थिति में बरतनी चाहिए वह यह है कि उक्त लाभ केवल उस अभियुक्त को दिया जाना चाहिए जो न्यायालय की संतुष्टि के लिए यह वचन देता है कि वह मामले में विशेष अभियुक्त के रूप में अपनी पहचान पर विवाद नहीं करेगा और यह कि उसकी ओर से एक अधिवक्ता न्यायालय में मौजूद रहेगा और उसे उसकी अनुपस्थिति में साक्ष्य लेने में कोई आपत्ति नहीं है।** साक्षियों से पूछताछ सहित कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए यह सावधानी बरतनी आवश्यक है।

18. विधिसम्मत रूप से यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि यदि अभियुक्त (जिसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से अभिमुक्ति दी गई है) द्वारा नियुक्त अधिवक्ता उपस्थित नहीं होता है या अधिवक्ता मामले को आगे बढ़ाने में सहयोग नहीं करता है तो

क्या होगा? हम बताएंगे कि विधायिका ने ऐसी परिस्थितियों का भी ध्यान रखा है। धारा 205(2) कहती है कि दंडाधिकारी अपने विवेक से कार्यवाही के किसी भी चरण में अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश दे सकता है। धारा 317(1) का अंतिम अंग दंडाधिकारी को कार्यवाही के किसी भी बाद के चरण में अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश देने का विवेक प्रदान करता है। वह ऐसी उपस्थिति को लागू करने के लिए अन्य कदमों का भी सहारा ले सकता है।

19. इसलिए, स्थिति इस पर निर्भर करती है: यह एक दंडाधिकारी की शक्तियों और उसके न्यायिक विवेक के अंतर्गत है कि वह किसी समन मामले में ऐसी कार्यवाही के दौरान या किसी विशेष चरण में किसी अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति से अभिमुक्ति दे, **यदि दंडाधिकारी यह पाता है कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति का आग्रह ही उसे भारी कष्ट या पीड़ा देगा, और तुलनात्मक लाभ कम होगा। इस तरह के विवेक का प्रयोग केवल दुर्लभ मामलों में ही किया जाना चाहिए, जहां अभियुक्त के दूर रहने या व्यवसाय करने के कारण या किसी भौतिक या अन्य उचित कारणों के कारण दंडाधिकारी को लगता है कि अभियुक्त को व्यक्तिगत उपस्थिति से अभिमुक्ति देना ही न्याय के हित में होगा।** हालांकि, जो दंडाधिकारी अभियुक्त को ऐसा लाभ देता है, उसे निश्चित रूप से ऊपर बताई गई सावधानियां बरतनी चाहिए। हम यह दोहराएंगे कि जब कोई अभियुक्त अपने विधिवत अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से दंडाधिकारी के समक्ष आवेदन करता है और अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति से अभिमुक्ति का लाभ देने की प्रार्थना करता है तो दंडाधिकारी सभी पहलुओं पर

विचार कर सकता है और आगे बढ़ने से पहले उस पर उचित आदेश पारित कर सकता है..."

(जोर दिया गया)

16. किसी अभियुक्त को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी जानी चाहिए या नहीं, इसका निर्णय विशेष रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर निर्भर करता है और इस संबंध में न्यायालयों द्वारा विवेक का प्रयोग कई कारकों को ध्यान में रखने के बाद किया जाता है, जिसमें आरोपों की प्रकृति, अभियुक्त का आचरण, अभियुक्त का निवास स्थान और न्यायालय के समक्ष भौतिक उपस्थिति के उद्देश्य से तय की जाने वाली दूरी, अभियुक्त की शारीरिक स्थिति, व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता और अन्य कारक शामिल हो सकते हैं।

17. विधि यह भी आदेश देती है कि किसी अभियुक्त को उपस्थिति से छूट देते समय, न्यायालयों को उचित शर्तें लगाकर यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अभियुक्त द्वारा इस तरह की स्वतंत्रता का दुरुपयोग न किया जाए, जैसे (i) अभियुक्त से यह वचन लिया जाए कि वह मामले में अभियुक्त के रूप में अपनी पहचान पर विवाद नहीं करेगा,

(ii) उसका अधिवक्ता सभी तिथियों पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा, (iii) वह अपनी अनुपस्थिति में लिए गए किसी भी साक्ष्य पर आपत्ति नहीं करेगा, आदि।

<u>वर्चुअल सुनवाई: न्यायालय की नीतियां और दिशा-निर्देश</u>

18. हालांकि, वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता सं. 1 ने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति से पूर्ण छूट की मांग नहीं की है, बल्कि उसने भौतिक उपस्थिति से छूट देने और सुनवाई की प्रत्येक तिथि पर उसे विचारण न्यायालय के समक्ष वर्चुअल रूप से उपस्थित होने की अनुमति देने की प्रार्थना की है।

19. इस पृष्ठभूमि में, यह न्यायालय रि.या. (सि) 17194/2022 में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में इस न्यायालय की माननीय खंड पीठ द्वारा पारित दिनांक 29.05.2023 के आदेश पर ध्यान देता है, जिसमें इसे निम्नानुसार देखा गया था:

> "....3. इस उच्च न्यायालय ने प्रत्येक व्यक्ति को वर्चुअल मोड के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति देने का नीतिगत निर्णय लिया है। याचिकाकर्ता द्वारा न्यायालय को वर्चुअल रूप से संबोधित करने पर कोई वर्जन नहीं है।
>
> 4. परिणामस्वरूप, आवेदन की अनुमति दी जाती है। संबंधित न्यायालय/एमएम-7, उत्तर-पश्चिम जिले को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को - जो न्यायालय में वर्चुअल रूप से उपस्थित होने का इरादा रखता है, वर्चुअल मोड के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति दे, जिसमें यहां याचिकाकर्ता भी शामिल है।

5. महा निबंधक को पूर्ण न्यायालय के निर्णय के बारे में सूचित करने दे - जो व्यक्तियों को सभी महानगरीय दंडाधिकारियों और सभी जिला न्यायालयों में वर्चुअल रूप से उपस्थित होने की अनुमति देता है..."

20. याचीगण द्वारा वर्तमान याचिका में संदर्भित इस न्यायालय के दिनांक 05.06.2023 के कार्यालय आदेश को पुनः प्रस्तुत करना भी उचित होगा। जो निम्नानुसार है:

" **दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली**

कार्यालय आदेश

सं. 01/आर.जी./डी.एच.सी./2023

दिनांक: 05.06.2023

विषय: माननीय पूर्ण न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली जिला न्यायालयों में संकर सुनवाई के संबंध में जारी किए गए निर्देश।

जिला न्यायालयों में संकर सुनवाई के संबंध में कार्यालय आदेश सं. 2551/डीएचसी/जीएज़ेड/जी-2/2022 दिनांक 11.05.2022 द्वारा जारी पिछले निर्देशों में आंशिक संशोधन करते हुए, यह सूचित किया जाता है कि माननीय पूर्ण न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह आदेश देते हुए प्रसन्नता व्यक्त की है कि:

" .....दिल्ली में जिला न्यायालय **किसी भी पक्षकारगण और/या उनके अधिवक्ता को न्यायालयी कार्यवाही के दौरान संकर/वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति देंगे, इसके लिए किसी पूर्व अनुरोध की आवश्यकता नहीं होगी।**

सुनवाई दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायालयों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम, 2021 के अनुरूप संकर/वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग मोड में आयोजित की जाएगी और साथ ही दिल्ली उच्च न्यायालय, 2022 के न्यायालयी कार्यवाही नियमों की लाइव स्ट्रीमिंग और अभिलेखन के प्रावधानों को भी ध्यान में रखा जाएगा।

न्यायिक अधिकारी, संकर/वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से सुनवाई करते समय, यह सुनिश्चित करेंगे कि यहां उल्लिखित मामलों की श्रेणियों में, किसी विशेष मामले के पक्षकारगण और अधिवक्ता के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति डिजिटल रूप से उस विशेष मामले की कार्यवाही तक न पहुंचे या उसमें शामिल न हो:

i. वैवाहिक मामले, बच्चे को गोद लेने और उसके अंतर्गत उत्पन्न होने वाली अंतरण याचिकाओं सहित बच्चे की अभिरक्षा के मामले।

ii. यौन अपराधों से संबंधित मामले, जिनमें धारा 376, भारतीय दंड संहिता, 1860 (भा.दं.सं.) के अंतर्गत शुरू की गई कार्यवाही शामिल है।

iii. महिलाओं के विरुद्ध लिंग आधारित हिंसा से संबंधित मामले।

iv. यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो) और किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत पंजीकृत या शामिल मामले।

v. गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 के अंतर्गत या उससे जुड़े मामले।

vi. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (दं.प्र.सं.) की धारा 327 या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सि.प्र.सं.) की धारा 153 8 या आदेश XXXIIए के अंतर्गत परिभाषित इन-कैमरा कार्यवाही।

vii. ऐसे मामलों में जहां पीठ का विचार है, उन कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए कि प्रकाशन न्याय के प्रशासन के लिए प्रतिकूल होगा।

viii. ऐसे मामले, जो पीठ की राय में, समुदायों के बीच दुश्मनी भड़का सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप विधि और व्यवस्था का उल्लंघन हो सकता है।

ix. प्रति-परीक्षा सहित साक्ष्य का अभिलेखन।

x. पक्षकारगण और उनके अधिवक्तागण के बीच विशेषाधिकार प्राप्त संचार; ऐसे मामले जहां विशेषाधिकार का दावा न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है; और अधिवक्तागण के बीच गैर-सार्वजनिक चर्चाएं।

xi. कोई अन्य मामला जिसमें न्यायालय द्वारा कोई विशिष्ट निर्देश जारी किया गया हो।

इसके अतिरिक्त, **किसी दिए गए मामले में, न्यायालय लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, पक्षकारगण और/या उनके अधिवक्ता को भौतिक रूप से उपस्थित होने का निर्देश दे सकता है, जहां न्यायालय की राय में पक्षकारगण/अधिवक्ता की न्यायालय में भौतिक उपस्थिति आवश्यक है** या जहां न्यायालय की अन्यथा राय है कि मामले की सुनवाई न्यायालय में भौतिक रूप से की जानी चाहिए।

इस संबंध में दिनांक 25.04.2022 को पूर्ण न्यायालय में लिया गया निर्णय तदनुसार संशोधित किया जाता है।

सभी जिला न्यायालयों में विद्वान न्यायिक अधिकारियों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त निर्देशों का सख्ती से पालन करें..."

(जोर दिया गया)

21. जैसा कि उपरोक्त कार्यालय आदेश के परिशीलन मात्र से पता चलता है कि, यह दिल्ली के सभी जिला न्यायालयों को निर्देश देता है कि वे 'किसी भी न्यायालयी कार्यवाही' के दौरान 'किसी भी पक्ष' या उनके अधिवक्ता को 'संकर/वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग मोड' के माध्यम से न्यायालय से कोई पूर्व अनुरोध किए बिना उपस्थित होने की अनुमति दें। आदेश आगे न्यायिक अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि संकर/वर्चुअल मोड के माध्यम से सुनवाई करते समय, केवल संबंधित पक्ष/अधिवक्ता कुछ मामलों में वर्चुअल मोड के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित रहें, जिसमें भा.दं.सं. की धारा 376 जैसे यौन अपराधों से संबंधित मामले भी शामिल हैं। इस प्रकार, आदेश को संयुक्त रूप से पढ़ने से पता चलता है कि यह निस्संदेह उस अभियुक्त पर लागू होगा जो भा.दं.सं. की धारा 376 के अंतर्गत आरोप वाले मामले में दांडिक विचारण का सामना कर रहा है। आदेश, हालांकि, यह भी स्पष्ट करता है कि न्यायालय पक्षकारगण या उनके अधिवक्ता को भौतिक रूप से उपस्थित होने का निर्देश भी दे सकते हैं यदि ऐसी उपस्थिति आवश्यक है या जहां न्यायालय

की राय है कि मामले को भौतिक रूप से सुना जाना चाहिए, और ऐसे निर्देश के कारणों को अभिलिखित कर सकते हैं।

<u>विश्लेषण और निष्कर्ष</u>

22. न्यायालय के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक आपराधिक मामले में विचारण की शीघ्र प्रगति सुनिश्चित करना है। हालांकि, जैसा कि माननीय शीर्ष न्यायालय ने भी कई अवसरों पर व्यक्त किया है, यदि यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियुक्त की अनुपस्थिति में भी विचारण प्रभावी ढंग से और निष्पक्ष रूप से जारी रह सकता है, तो इस पर विचार करना संबंधित न्यायालयों के लिए बाध्य होगा। यदि यह स्पष्ट हो जाता है कि त्वरित सुनवाई के उद्देश्य से अभियुक्त की उपस्थिति आवश्यक नहीं है, तो न्यायालय तदनुसार अपने विवेक का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह के विवेक का प्रयोग करते समय, न्यायालय किसी अभियुक्त की पीड़ा की भयावहता को ध्यान में रख सकते हैं और यदि अभियुक्त बुजुर्ग है और बीमारियों से पीड़ित है, तो सुनवाई की प्रत्येक तिथि पर उसकी भौतिक उपस्थिति पर जोर देने से अभियुक्त को काफी कठिनाई हो सकती है।

23. जबकि न्याय और निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांतों को बनाए रखना महत्वपूर्ण है, अभियुक्तगण की उम्र और स्वास्थ्य स्थितियों जैसे कारकों पर उचित विचार करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ऐसे मामलों में, यदि वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग और विधिक अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व जैसे वैकल्पिक तरीकों के

माध्यम से न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के उपस्थित रहने से विचारण प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकता है, तो न्यायालय को अभियुक्त द्वारा इस आशय की प्रार्थनाओं पर विचार करने में लचीला होना चाहिए।

24. न्यायालयों को अभियुक्तगण के अधिकारों और विधिक प्रक्रिया की व्यावहारिकताओं के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसी शर्तें अधिरोपित करना जो एक बुजुर्ग अभियुक्त, जैसे वर्तमान मामले में 75 साल का अभियुक्त, को सुनवाई की हर तिथि पर न्यायालय की कार्यवाही में वर्चुअल रूप से शामिल होने की अनुमति देने के बजाय उसे न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहने, और हर बार जब वह वर्चुअल रूप से उपस्थित होना चाहे तो बीमारी का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए मजबूर करती हैं, मामले के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में, अव्यावहारिक और अन्यायपूर्ण होंगी।

25. यह न्यायालय इस तथ्य से भी अवगत है कि याचिकाकर्ता सं. 1 ने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की प्रार्थना नहीं की है, बल्कि केवल अपनी उम्र और स्वास्थ्य स्थितियों को देखते हुए न्यायालय के समक्ष अपनी शारीरिक उपस्थिति से छूट मांगी है। इस प्रकार, ऐसे मामलों में जहां न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना और वर्चुअल मोड के माध्यम से दांडिक विचारण की कार्यवाही में शामिल होना विचारण की अखंडता या निष्पक्षता से समझौता नहीं करता है, न्यायालयों को आधुनिक तकनीक को अपनाने और वर्चुअल उपस्थिति की अनुमति देने में लचीला होना चाहिए।

26. मौजूदा चर्चा को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 08.06.2023 के आदेश को अपास्त करने का इच्छुक है क्योंकि इसमें याचिकाकर्ता सं. 1 की भौतिक/वर्चुअल उपस्थिति के लिए निर्देश शामिल हैं। उपरोक्त परिस्थितियों में, यह न्यायालय निम्नानुसार निर्देश देता है:

i. याचिकाकर्ता सं. 1 सुनवाई की प्रत्येक तिथि पर वर्चुअल रूप से वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा और याचिकाकर्ता सं. 1 की ओर से अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष भौतिक रूप से उपस्थित रहेंगे।

ii. इस न्यायालय ने कहा है कि यह एक दांडिक विचारण है और अभियुक्त की पहचान अत्यंत महत्वपूर्ण है। केवल इसलिए कि अभियुक्त वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हो रहा है, वह प्रतिपरीक्षा आदि के दौरान या विचारण के किसी अन्य चरण में अपनी पहचान पर विवाद नहीं करेगा क्योंकि वह स्वयं व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांग रहा है और अनुरोध करता है कि उसे वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने की अनुमति दी जाए।

iii. याचिकाकर्ता सं. 1 सुनवाई की किसी भी तिथि पर स्थगन की मांग नहीं करेगा, सिवाय उन अपरिहार्य परिस्थितियों के, जिनके बारे में उसके

अधिवक्ता द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष लिखित में एक आवेदन दिया जाएगा।

iv. अभियुक्त को सुनवाई की हर तिथि पर बीमारी का चिकित्सीय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि उसे वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने की अनुमति दी गई है।

v. यदि विद्वान विचारण न्यायालय की राय होगी कि याचिकाकर्ता सं. 1 की भौतिक उपस्थिति, कुछ कारणों से जिन्हें संबंधित न्यायालय द्वारा दर्ज किया जाएगा, आवश्यक ही है तो उन तिथियों के संबंध में ऐसा आदेश, जिन पर उसे विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता होगी, न्यायालय के समक्ष उसकी उपस्थिति के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम तीन दिन पहले याचिकाकर्ता सं. 1 या याचिकाकर्ता सं. 1 के विद्वान अधिवक्ता या उसकी ओर से उपस्थित किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति में पारित किया जाएगा।

vi. यदि याचिकाकर्ता सं. 1 को अपनी किसी शारीरिक अक्षमता के कारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में कठिनाई होती है, तो विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इसे ध्यान में रखा जाएगा।

27. तदनुसार, लंबित आवेदन के साथ वर्तमान याचिका का उपरोक्त निबंधनों के अनुसार निपटारा किया जाता है।

28. इस आदेश की एक प्रति सूचना और अनुपालन के लिए संबंधित विचारण न्यायालय को भेजी जाए।

29. निर्णय तुरंत वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

न्या. स्वर्ण कांता शर्मा

1 सितंबर, 2023/जेड.पी.

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*